FRONTIERS OF INTEGRATED ACADEMIC RESEARCH

International multidisciplinary peer-reviewed
open-access journal

www.fiarjournal.in

e-ISSN: [Add after allotment]

सागर जिले के माध्यमिक विद्यालयों में बाल संरक्षण, शिक्षा के अधिकार और सहभागिता के अधिकार के प्रति शिक्षक-शिक्षिकाओं की जागरूकता: शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों का तुलनात्मक अध्ययन

अंतिमा शर्मा[1]* एवं के. के. शुक्ला[2]

*1,2*शिक्षाशास्त्र विभाग, स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश–470228*

e-mail: antimasagar@gmail.com

Article type	Research Article	**Received**	23/09/2026
Volume and issue	Vol. 1, Issue 1	**Published**	26/09/2026

How to cite this article: Sharma, A., & Shukla, K. K. (2026). सागर जिले के माध्यमिक विद्यालयों में बाल संरक्षण, शिक्षा के अधिकार और सहभागिता के अधिकार के प्रति शिक्षक-शिक्षिकाओं की जागरूकता: शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों का तुलनात्मक अध्ययन. *Frontiers of Integrated Academic Research, 1*(1), 28-34 . https://fiarjournal.in/article/fiar-2026-0105

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना था। अध्ययन में बाल संरक्षण, शिक्षा का अधिकार तथा सहभागिता का अधिकार तीन प्रमुख आयामों के रूप में सम्मिलित किए गए। वर्णनात्मक सर्वेक्षण पर आधारित तुलनात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग करते हुए कुल 200 शिक्षक-शिक्षिकाओं को अध्ययन में सम्मिलित किया गया, जिनमें 100 शासकीय तथा 100 अशासकीय विद्यालयों से थे। आँकड़ों के संकलन हेतु 36 प्रश्नों वाली बाल अधिकार जागरूकता प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। प्रत्येक आयाम में 12 प्रश्न थे तथा समग्र संभावित अंक-परास 36–144 था। आँकड़ों के विश्लेषण हेतु औसत, मानक विचलन, Welch स्वतंत्र नमूना t-परीक्षण तथा Cohen's d का प्रयोग किया गया। परिणामों में बाल संरक्षण के लिए शासकीय एवं अशासकीय समूहों का औसत क्रमशः 33.2 और 34.5 तथा शिक्षा के अधिकार के लिए 30.9 और 32.1 पाया गया। इन दोनों आयामों में समूहों के बीच अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्त्वपूर्ण नहीं था ($p>.05$)। इसके विपरीत, सहभागिता के अधिकार में अशासकीय विद्यालय समूह का औसत (29.3) शासकीय समूह (26.4) की तुलना में अधिक था और अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्त्वपूर्ण पाया गया ($p<.001$)। समग्र बाल अधिकार जागरूकता में भी अशासकीय समूह का औसत 95.9 तथा शासकीय समूह का 90.5 था और अंतर महत्त्वपूर्ण था ($p=.009$)। निष्कर्षतः सहभागिता के अधिकार और समग्र बाल अधिकार जागरूकता में दोनों समूहों के बीच महत्त्वपूर्ण अंतर पाया गया। अध्ययन विद्यालयों में सहभागिता-आधारित बाल अधिकार शिक्षा, सुरक्षित संवाद तथा शिक्षक प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मुख्य शब्द: बाल अधिकार, बाल संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, बाल सहभागिता, शिक्षक जागरूकता, तुलनात्मक अध्ययन।

1. प्रस्तावना

विद्यालय बच्चे के लिए सीखने के साथ सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सहभागिता का स्थान भी है। शिक्षक-शिक्षिकाएँ इन अनुभवों को प्रतिदिन प्रभावित करते हैं। इसलिए बाल अधिकारों की जानकारी का अर्थ केवल कानूनों के नाम जानना नहीं, बल्कि कक्षा और विद्यालय में उनके अनुरूप निर्णय लेना भी है। बाल अधिकार अभिसमय बच्चों के विचारों को सुनने, उन्हें हिंसा से सुरक्षित रखने तथा शिक्षा उपलब्ध कराने को महत्त्व देता है (United Nations, 1989)।

भारतीय विद्यालयी संदर्भ में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 महत्त्वपूर्ण कानूनी आधार प्रदान करते हैं (Government of India, 2009, 2012, 2015)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 शिक्षा में समानता और समावेश पर बल देती है (Ministry of Education, 2020)। यद्यपि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधी दायरा मुख्यतः 6–14 वर्ष की आयु और प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ा है, माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक की समानता, गरिमा और सहायता संबंधी समझ का अध्ययन भी आवश्यक है।

बाल संरक्षण, शिक्षा का अधिकार और सहभागिता एक-दूसरे से जुड़े हैं। जिस विद्यार्थी को अपनी कठिनाई बताने का सुरक्षित अवसर नहीं मिलता, उसकी शैक्षिक या सुरक्षा संबंधी समस्या पहचानना भी कठिन हो सकता है। बाल अधिकार समिति ने बच्चे की बात सुनने, हिंसा से संरक्षण और बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देने पर मार्गदर्शन दिया है (Committee on the Rights of the Child, 2009, 2011, 2013)। इन्हीं तीन पहलुओं को वर्तमान अध्ययन के प्रमुख आयाम बनाया गया है।

2. अध्ययन का औचित्य

CC BY-NC 4.0

शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में प्रशिक्षण, संसाधन, कार्यप्रणाली और संस्थागत सहायता भिन्न हो सकती है। किन्तु इन भिन्नताओं के आधार पर किसी एक समूह को अधिक जागरूक मान लेना उचित नहीं है। तुलनात्मक अध्ययन से यह जाँचा जा सकता है कि जागरूकता में अंतर है या नहीं और यदि है, तो वह किस आयाम में है।

विद्यालयी हिंसा तथा धमकाने की रोकथाम से संबंधित साहित्य कर्मचारियों की तैयारी और विद्यालय स्तर की स्पष्ट प्रक्रियाओं पर बल देता है (UNESCO, 2019; World Health Organization [WHO], 2019)। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के विद्यालय सुरक्षा और साइबर धमकाने संबंधी दिशानिर्देश भी शिक्षकों के लिए प्रासंगिक हैं (National Commission for Protection of Child Rights [NCPCR], 2021, 2024)। इसलिए शिक्षक जागरूकता का आयामवार अध्ययन प्रशिक्षण की आवश्यकताएँ पहचानने में उपयोगी हो सकता है।

3. अध्ययन के उद्देश्य

(i) शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं की बाल संरक्षण संबंधी जागरूकता की तुलना करना।

(ii) दोनों समूहों की शिक्षा के अधिकार संबंधी जागरूकता की तुलना करना।

(iii) दोनों समूहों की बाल सहभागिता के अधिकार संबंधी जागरूकता की तुलना करना।

(iv) दोनों समूहों के समग्र बाल अधिकार जागरूकता अंकों की तुलना करना।

4. शून्य परिकल्पनाएँ

परिकल्पना 1

H_1: दोनों समूहों के बाल संरक्षण एवं शिक्षा के अधिकार संबंधी जागरूकता के औसत अंकों में महत्त्वपूर्ण अंतर है।

शून्य परिकल्पना (H_{01}): दोनों समूहों के बाल संरक्षण एवं शिक्षा के अधिकार संबंधी जागरूकता के औसत अंकों में महत्त्वपूर्ण अंतर नहीं है।

परिकल्पना 2

H_2: दोनों समूहों के सहभागिता के अधिकार एवं समग्र बाल अधिकार जागरूकता के औसत अंकों में महत्त्वपूर्ण अंतर है।

शून्य परिकल्पना (H_{02}): दोनों समूहों के सहभागिता के अधिकार एवं समग्र बाल अधिकार जागरूकता के औसत अंकों में महत्त्वपूर्ण अंतर नहीं है।

5. साहित्य समीक्षा

बाल संरक्षण में दुर्व्यवहार या हिंसा की पहचान के साथ बच्चे के प्रति संवेदनशील प्रतिक्रिया और निर्धारित सहायता प्रक्रिया की जानकारी शामिल है। बाल अधिकार समिति (2011) ने हिंसा से मुक्त रहने के अधिकार को स्पष्ट किया है। WHO (2019) की विद्यालय आधारित हिंसा रोकथाम मार्गदर्शिका तथा UNESCO (2019) का विद्यालयी हिंसा और धमकाने संबंधी प्रतिवेदन संस्थागत प्रयासों के महत्त्व को रेखांकित करते हैं। भारत में NCPCR (2021, 2024) के दस्तावेज विद्यालय सुरक्षा और धमकाने की रोकथाम के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं।

शिक्षा के अधिकार की चर्चा में विद्यालय तक पहुँच के साथ भेदभाव रहित व्यवहार और सीखने में भागीदारी भी प्रासंगिक हैं। UNESCO (2020) ने समावेशी शिक्षा में आने वाली बाधाओं का विश्लेषण किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा में समान अवसर पर बल देती है, जबकि विद्यालय नेतृत्व पर UNESCO (2024) की रिपोर्ट विद्यालयी सुधार में नेतृत्व और सहयोग की भूमिका दर्शाती है (Ministry of Education, 2020; UNESCO, 2024)।

सहभागिता का अधिकार विद्यार्थी की आयु और परिपक्वता के अनुरूप उसकी बात सुनने और उस पर विचार करने से जुड़ा है (Committee on the Rights of the Child, 2009)। यह कक्षा में प्रश्न पूछने, कठिनाई बताने और सुरक्षित रूप से प्रतिक्रिया देने के अवसरों में दिखाई दे सकता है। विद्यार्थियों के अनुभव सुनने का संबंध उनके मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील विद्यालयी वातावरण से भी है (UNICEF, 2021)। इस प्रकार तीनों आयामों को एक समग्र अंक में समेटने के साथ पृथक रूप से देखना आवश्यक है।

6. शोध विधि

6.1 शोध अभिकल्प

अध्ययन के लिए वर्णनात्मक सर्वेक्षण पर आधारित तुलनात्मक अभिकल्प रखा गया है। स्वतंत्र समूह चर विद्यालय का प्रकार शासकीय अथवा अशासकीय है। आश्रित चर तीन आयामों तथा समग्र जागरूकता के अंक हैं।

6.2 नमूना

अध्ययन में कुल 200 शिक्षक-शिक्षिकाओं को सम्मिलित किया गया: शासकीय विद्यालय समूह में 100 और अशासकीय विद्यालय समूह में 100। पात्र विद्यालयों की सूची, चयन विधि, आमंत्रित शिक्षकों की संख्या, उत्तर दर तथा जनसांख्यिकीय विवरण अभिलेखित किए गए।

6.3 शोध उपकरण

तीन उपमापों वाली 36 प्रश्नों की बाल अधिकार जागरूकता प्रश्नावली का प्रयोग किया है। प्रत्येक उपमाप में 12 प्रश्न तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 से 4 अंक रखे गए हैं। इस प्रकार प्रत्येक आयाम का संभावित अंक-परास 12–48 और समग्र अंक-परास 36–144 होगा। अधिक अंक अधिक जागरूकता दर्शाएँगे।

आयाम	प्रमुख विषय	प्रश्नों की संख्या
बाल संरक्षण	हिंसा की पहचान, सुरक्षित प्रतिक्रिया, गोपनीयता, सहायता प्रक्रिया	12
शिक्षा का अधिकार	समान अवसर, भेदभाव की पहचान, सीखने में सहायता	12
सहभागिता का अधिकार	विद्यार्थियों की बात सुनना, संवाद, सुरक्षित प्रतिक्रिया	12

6.4 विश्लेषण विधि

वास्तविक प्राप्त आँकड़ों के लिए प्रत्येक समूह का औसत और मानक विचलन प्रस्तुत किया गया है। दो समूहों की तुलना के लिए Welch का स्वतंत्र नमूना t-परीक्षण प्रयुक्त किया गया है। प्रभाव आकार के लिए Cohen का d दिया गया है। सांख्यिकीय महत्ता का स्तर .05 रखा गया है।

7. परिणाम एवं विश्लेषण

7.1 बाल अधिकार जागरूकता के वास्तविक प्राप्त अंक

बाल अधिकार जागरूकता प्रश्नावली के माध्यम से बाल संरक्षण, शिक्षा का अधिकार तथा सहभागिता का अधिकार—इन तीन आयामों का मापन किया गया। प्रत्येक आयाम में 12 प्रश्न सम्मिलित थे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 से 4 अंक निर्धारित किए गए थे। अतः प्रत्येक आयाम का संभावित अंक-परास 12 से 48 तथा समग्र बाल अधिकार जागरूकता का संभावित अंक-परास 36 से 144 था।

तालिका 1: बाल अधिकार जागरूकता के आयामों के वास्तविक प्राप्त अंक

क्र. सं.	बाल अधिकार जागरूकता का आयाम	न्यूनतम संभावित अंक	अधिकतम संभावित अंक	वास्तविक प्राप्त अंक
1	बाल संरक्षण	12	48	38
2	शिक्षा का अधिकार	12	48	40
3	सहभागिता का अधिकार	12	48	25
कुल	समग्र बाल अधिकार जागरूकता	36	144	103

स्रोत: प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित

तालिका 1 से स्पष्ट होता है कि बाल संरक्षण आयाम में 48 में से 38 अंक तथा शिक्षा के अधिकार संबंधी जागरूकता में 48 में से 40 अंक प्राप्त हुए। इसके विपरीत सहभागिता के अधिकार संबंधी जागरूकता में 48 में से 25 अंक प्राप्त हुए। तीनों आयामों को सम्मिलित करने पर समग्र बाल अधिकार जागरूकता का प्राप्त अंक 144 में से 103 रहा।

वर्णनात्मक रूप से देखा जाए तो शिक्षा के अधिकार संबंधी आयाम में प्राप्त अंक सर्वाधिक हैं, जबकि सहभागिता के अधिकार संबंधी आयाम में प्राप्त अंक अपेक्षाकृत कम हैं। इससे संकेत मिलता है कि सहभागिता के अधिकार से संबंधित जागरूकता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। हालाँकि किसी एक प्राप्त अंक से दोनों विद्यालय समूहों के बीच सांख्यिकीय अंतर निर्धारित नहीं किया जा सकता; इसके लिए समूहवार औसत, मानक विचलन तथा अनुमानात्मक सांख्यिकीय परीक्षण आवश्यक हैं।

7.2 शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय समूहों का वर्णनात्मक विश्लेषण

दोनों विद्यालय समूहों के बाल अधिकार जागरूकता संबंधी औसत अंकों और मानक विचलन का विवरण तालिका 2 में प्रस्तुत है।

तालिका 2: बाल अधिकार जागरूकता का समूहवार तुलनात्मक विवरण

क्र. सं.	बाल अधिकार जागरूकता का आयाम	शासकीय विद्यालय (n = 100) औसत ± SD	अशासकीय विद्यालय (n = 100) औसत ± SD
1	बाल संरक्षण	33.2 ± 5.8	34.5 ± 5.5
2	शिक्षा का अधिकार	30.9 ± 5.9	32.1 ± 5.6
3	सहभागिता का अधिकार	26.4 ± 6.2	29.3 ± 5.9
4	समग्र बाल अधिकार जागरूकता	90.5 ± 14.8	95.9 ± 14.0

स्रोत: प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित

तालिका 2 से ज्ञात होता है कि अशासकीय विद्यालय समूह के औसत अंक सभी आयामों में शासकीय विद्यालय समूह की तुलना में अधिक हैं। बाल संरक्षण में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय समूहों का औसत क्रमशः 33.2 और 34.5 तथा शिक्षा के अधिकार में क्रमशः 30.9 और 32.1 है।

सहभागिता के अधिकार में दोनों समूहों के बीच अपेक्षाकृत अधिक अंतर दिखाई देता है। इसमें शासकीय विद्यालय समूह का औसत 26.4 तथा अशासकीय विद्यालय समूह का औसत 29.3 है। इसी प्रकार समग्र बाल अधिकार जागरूकता का औसत शासकीय विद्यालयों में 90.5 तथा अशासकीय विद्यालयों में 95.9 प्राप्त हुआ।

7.3 समूहों के मध्य अंतर का सांख्यिकीय परीक्षण

दोनों समूहों के औसत अंकों में दिखाई देने वाले अंतर की सांख्यिकीय महत्ता ज्ञात करने के लिए Welch का स्वतंत्र नमूना t-परीक्षण किया गया।

तालिका 3: शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय समूहों के मध्य अंतर का सांख्यिकीय परीक्षण

क्र. सं.	बाल अधिकार जागरूकता का आयाम	औसत अंतर (शासकीय − अशासकीय)	Welch का t	p मान	Cohen's d	.05 स्तर पर निष्कर्ष
1	बाल संरक्षण	−1.3	−1.63	.106	−0.23	महत्त्वपूर्ण अंतर नहीं
2	शिक्षा का अधिकार	−1.2	−1.48	.142	−0.21	महत्त्वपूर्ण अंतर नहीं
3	सहभागिता का अधिकार	−2.9	−3.39	< .001	−0.48	महत्त्वपूर्ण अंतर
4	समग्र बाल अधिकार जागरूकता	−5.4	−2.65	.009	−0.37	महत्त्वपूर्ण अंतर

7.4 परिकल्पनाओं का परीक्षण

शून्य परिकल्पना H_{01}: शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय समूहों के बाल संरक्षण एवं शिक्षा के अधिकार संबंधी जागरूकता के औसत अंकों में महत्त्वपूर्ण अंतर नहीं है।

बाल संरक्षण के लिए $p = .106$ तथा शिक्षा के अधिकार के लिए $p = .142$ प्राप्त हुआ। दोनों ही स्थितियों में $p > .05$ है। अतः उपलब्ध आँकड़ों में H_{01} को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त सांख्यिकीय साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए।

शून्य परिकल्पना H_{02}: शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय समूहों के सहभागिता के अधिकार एवं समग्र बाल अधिकार जागरूकता के औसत अंकों में महत्त्वपूर्ण अंतर नहीं है।

सहभागिता के अधिकार के लिए $p < .001$ तथा समग्र बाल अधिकार जागरूकता के लिए $p = .009$ प्राप्त हुआ। दोनों ही स्थितियों में $p < .05$ है। अतः H_{02} को अस्वीकार किया जाता है। परिणाम शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय समूहों के बीच सहभागिता के अधिकार तथा समग्र बाल अधिकार जागरूकता में सांख्यिकीय रूप से महत्त्वपूर्ण अंतर दर्शाते हैं।

8. चर्चा

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य सरकारी एवं अशासकीय समूहों में बाल अधिकारों के विभिन्न आयामों—बाल संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, सहभागिता का अधिकार तथा समग्र बाल अधिकार जागरूकता—की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना था। प्राप्त आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि दोनों समूहों में जागरूकता का स्तर सभी आयामों में समान नहीं था। विशेष रूप से सहभागिता के अधिकार तथा समग्र बाल अधिकार जागरूकता में दोनों समूहों के मध्य सांख्यिकीय रूप से महत्त्वपूर्ण अंतर प्राप्त हुआ, जबकि बाल संरक्षण एवं शिक्षा के अधिकार से संबंधित अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्त्वपूर्ण नहीं पाया गया।

8.1 बाल संरक्षण के अधिकार संबंधी जागरूकता

बाल संरक्षण संबंधी जागरूकता में सरकारी समूह का औसत स्कोर 33.2 (SD=5.8) तथा अशासकीय समूह का औसत 34.5 (SD=5.5) पाया गया। यद्यपि अशासकीय समूह का औसत 1.3 अंक अधिक था, परंतु यह अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्त्वपूर्ण नहीं था ($t = -1.63$, $p = .106$)।

इस परिणाम से संकेत मिलता है कि दोनों समूहों में बाल संरक्षण से संबंधित बुनियादी जागरूकता लगभग समान स्तर पर विद्यमान है। अतः केवल औसत में दिखाई देने वाले छोटे अंतर को वास्तविक समूह-अंतर के रूप में व्याख्यायित करना उचित नहीं होगा। बाल संरक्षण में हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा तथा शोषण की पहचान के साथ-साथ रिपोर्टिंग, सहायता एवं संरक्षण प्रक्रियाओं की जानकारी भी महत्त्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति ने भी बाल संरक्षण को केवल हिंसा से बचाव तक सीमित न रखते हुए रोकथाम, पहचान, रिपोर्टिंग, रेफरल तथा अनुवर्ती सहायता से जोड़ा है।

8.2 शिक्षा के अधिकार संबंधी जागरूकता

शिक्षा के अधिकार में सरकारी समूह का औसत 30.9 (SD=5.9) तथा अशासकीय समूह का औसत 32.1 (SD=5.6) प्राप्त हुआ। दोनों समूहों के मध्य 1.2 अंकों का अंतर था, लेकिन यह भी सांख्यिकीय रूप से महत्त्वपूर्ण नहीं पाया गया ($t = -1.48$, $p = .142$)।

इस आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा के अधिकार संबंधी जागरूकता के संदर्भ में दोनों समूह तुलनात्मक रूप से समान थे। शिक्षा को केवल विद्यालय में प्रवेश तक सीमित नहीं माना जाना चाहिए; अधिकार-आधारित दृष्टिकोण में सम्मानजनक, बाल-केंद्रित एवं सशक्तीकरण करने वाली शिक्षा भी सम्मिलित होती है। संयुक्त राष्ट्र के संबंधित दस्तावेज शिक्षा को अन्य अधिकारों की प्राप्ति में सहायक एक महत्त्वपूर्ण सशक्तीकरण अधिकार मानते हैं।

बाल संरक्षण और शिक्षा के अधिकार से संबंधित दोनों परिणामों को संयुक्त रूप से देखने पर शून्य परिकल्पना H_{01} को अस्वीकृत करने के लिए पर्याप्त सांख्यिकीय आधार प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात् इन दोनों आयामों में देखे गए औसत अंतर नमूना-स्तर पर मौजूद होने के बावजूद सांख्यिकीय रूप से महत्त्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुए।

8.3 सहभागिता के अधिकार संबंधी जागरूकता

सहभागिता के अधिकार के संदर्भ में परिणाम अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट रहे। सरकारी समूह का औसत 26.4 (SD=6.2) था, जबकि अशासकीय समूह का औसत 29.3 (SD=5.9) प्राप्त हुआ। दोनों समूहों के बीच 2.9 अंकों का अंतर पाया गया तथा यह अंतर सांख्यिकीय रूप से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण था ($t = -3.39$, $p < .001$)।

अतः सहभागिता के अधिकार के संबंध में दोनों समूहों की जागरूकता में वास्तविक सांख्यिकीय अंतर का प्रमाण मिलता है। परिणाम यह दर्शाते हैं कि नमूने में अशासकीय समूह का औसत सरकारी समूह से अधिक था। हालांकि, अध्ययन की तुलनात्मक प्रकृति के कारण इस अंतर का कारण विद्यालय का प्रकार ही है, ऐसा निष्कर्ष इन आँकड़ों से अकेले नहीं निकाला जा सकता।

सहभागिता बाल अधिकारों का महत्त्वपूर्ण घटक है। बाल अधिकार समिति के अनुसार बच्चों को उनसे संबंधित मामलों में अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने तथा आयु और परिपक्वता के अनुरूप उन विचारों को महत्त्व दिए जाने का अधिकार है। विद्यालयी परिवेश में भी बच्चों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से प्राप्त परिणाम विद्यालयों में छात्र परिषद, कक्षा-स्तरीय निर्णय, शिकायत व्यवस्था, संवाद तथा बच्चों की आवाज को स्थान देने वाली गतिविधियों के अध्ययन की आवश्यकता की ओर संकेत करते हैं।

8.4 समग्र बाल अधिकार जागरूकता

समग्र बाल अधिकार जागरूकता में सरकारी समूह का औसत 90.5 (SD=14.8) तथा अशासकीय समूह का औसत 95.9 (SD=14.0) प्राप्त हुआ। इस प्रकार अशासकीय समूह का औसत 5.4 अंक अधिक था। यह अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्त्वपूर्ण पाया गया ($t = -2.65$, $p = .009$)।

इस परिणाम से स्पष्ट है कि अध्ययन किए गए नमूने में समग्र बाल अधिकार जागरूकता के संदर्भ में दोनों समूहों के बीच सांख्यिकीय रूप से महत्त्वपूर्ण अंतर था। इसके साथ सहभागिता के अधिकार में भी महत्त्वपूर्ण अंतर मिलने के कारण शून्य परिकल्पना H_{02} अस्वीकृत होती है।

विशेष रूप से ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि अंतर सभी आयामों में समान रूप से नहीं मिला। संरक्षण और शिक्षा में अंतर महत्त्वपूर्ण नहीं था, जबकि सहभागिता और समग्र जागरूकता में था। अतः परिणामों को केवल "एक समूह अधिक जागरूक है" जैसे व्यापक कथन तक सीमित करने के बजाय अधिकार के अलग-अलग आयामों के आधार पर समझना अधिक उपयुक्त है।

9. शैक्षिक निहितार्थ

अध्ययन के परिणाम विद्यालयी शिक्षा के लिए कई व्यावहारिक निहितार्थ प्रस्तुत करते हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य सहभागिता के अधिकार में प्राप्त अंतर है। विद्यालयों में बाल अधिकार शिक्षा को केवल पाठ्यपुस्तकीय जानकारी तक सीमित न रखकर उसे दैनिक विद्यालयी व्यवहार का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

विद्यालयों में बाल अधिकार जागरूकता कार्यक्रम, बाल संसद, छात्र परिषद, सुझाव पेटिका, सुरक्षित शिकायत व्यवस्था, कक्षा-चर्चा, रोल-प्ले, पोस्टर एवं गतिविधि-आधारित शिक्षण को प्रोत्साहित किया जा सकता है। विशेष रूप से बच्चों को यह समझाना आवश्यक है कि सहभागिता का अर्थ केवल गतिविधियों में उपस्थित होना नहीं, बल्कि अपने विचार व्यक्त करना, सुना जाना तथा आयु एवं परिपक्वता के अनुरूप निर्णय प्रक्रियाओं में अवसर प्राप्त करना भी है। बाल अधिकार समिति भी विद्यालयों में बच्चों की सक्रिय भूमिका और उनके विचारों को महत्त्व देने पर बल देती है।

बाल संरक्षण के क्षेत्र में दोनों समूहों में सांख्यिकीय अंतर न मिलने के बावजूद निरंतर प्रशिक्षण की उपयोगिता बनी रहती है। शिक्षकों और विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं आयु-अनुकूल तरीके से यह जानकारी दी जानी चाहिए कि हिंसा, दुर्व्यवहार या शोषण की स्थिति में सहायता कहाँ और कैसे प्राप्त की जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाल-अधिकार मानक भी रोकथाम, पहचान, रिपोर्टिंग और सहायता प्रक्रियाओं को संरक्षण व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा मानते हैं।

इस अध्ययन का एक महत्त्वपूर्ण शैक्षिक संकेत यह भी है कि बाल अधिकार जागरूकता को एकल समग्र स्कोर के साथ-साथ उसके पृथक आयामों में भी मापा जाना चाहिए। वर्तमान आँकड़ों में यही दृष्टिकोण यह दिखा सका कि संरक्षण और शिक्षा में अंतर महत्त्वपूर्ण नहीं था, जबकि सहभागिता में था।

10. सीमाएँ और नैतिक सावधानी

इस अध्ययन के परिणामों की व्याख्या करते समय कुछ सीमाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। अध्ययन का नमूना कुल 200 प्रतिभागियों जिनमें से 100 सरकारी और 100 अशासकीय समूह तक सीमित था। इसलिए परिणामों का अत्यधिक व्यापक जनसंख्या पर सामान्यीकरण सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।

दूसरा, जागरूकता को प्रश्नावली के माध्यम से मापा गया है। अतः उत्तर प्रतिभागियों की वास्तविक जानकारी के साथ उनकी समझ, स्मृति और उत्तर देने की प्रवृत्ति से भी प्रभावित हो सकते हैं। प्रश्नावली में सही उत्तर देना वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में अधिकारों का प्रयोग करने या सहायता प्राप्त करने की क्षमता के समान नहीं माना जाना चाहिए।

तीसरा, अध्ययन में समूहों के बीच प्राप्त अंतर सहसंबंधात्मक/तुलनात्मक परिणाम है। इसलिए सहभागिता और समग्र जागरूकता में अशासकीय समूह का अधिक औसत यह सिद्ध नहीं करता कि विद्यालय का प्रकार स्वयं उस अंतर का कारण था। पारिवारिक पृष्ठभूमि, अभिभावकों की शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, विद्यालयी वातावरण, मीडिया संपर्क तथा पूर्व प्रशिक्षण जैसे अन्य कारक भी प्रभाव डाल सकते हैं।

नैतिक दृष्टि से प्रतिभागियों की पहचान एवं व्यक्तिगत उत्तरों को गोपनीय रखा जाना चाहिए। किसी विद्यार्थी, विद्यालय या समूह को कम स्कोर के आधार पर "कम सक्षम" अथवा नकारात्मक रूप से वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। विशेषकर बाल संरक्षण संबंधी प्रश्न संवेदनशील हो सकते हैं; अतः उनका प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि प्रतिभागी की गरिमा, निजता और सुरक्षा प्रभावित न हो। बाल-अधिकार आधारित दृष्टिकोण बच्चों की गरिमा, सर्वोत्तम हित और सहभागिता को केंद्रीय महत्त्व देता है।

11. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के वास्तविक आँकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी और अशासकीय समूहों के बीच बाल अधिकार जागरूकता का अंतर सभी आयामों में समान नहीं है। बाल संरक्षण के अधिकार में सरकारी समूह का औसत 33.2±5.8 और अशासकीय समूह का 34.5±5.5

था तथा अंतर महत्त्वपूर्ण नहीं था (p=.106)। इसी प्रकार शिक्षा के अधिकार में औसत क्रमशः 30.9±5.9 और 32.1±5.6 रहा और अंतर महत्त्वपूर्ण नहीं था (p=.142)। अतः इन परिणामों के आधार पर H_{01} अस्वीकृत नहीं हुई।

इसके विपरीत सहभागिता के अधिकार में सरकारी समूह का औसत 26.4±6.2 तथा अशासकीय समूह का 29.3±5.9 था और यह अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्त्वपूर्ण पाया गया (p<.001)। समग्र बाल अधिकार जागरूकता में भी सरकारी समूह का औसत 90.5±14.8 तथा अशासकीय समूह का 95.9±14.0 प्राप्त हुआ और अंतर महत्त्वपूर्ण था (p=.009)। फलतः H_{02} अस्वीकृत हुई।

समग्रतः अध्ययन यह संकेत करता है कि नमूने में अशासकीय समूह ने सहभागिता के अधिकार तथा समग्र बाल अधिकार जागरूकता में अपेक्षाकृत अधिक औसत स्कोर प्राप्त किया, जबकि संरक्षण एवं शिक्षा संबंधी जागरूकता में दोनों समूहों के बीच सांख्यिकीय रूप से विश्वसनीय अंतर स्थापित नहीं हुआ। इसलिए भविष्य की शैक्षिक रणनीतियों में विशेष रूप से सहभागिता-आधारित बाल अधिकार शिक्षा, विद्यार्थियों की आवाज, सुरक्षित संवाद और विद्यालयी निर्णय प्रक्रियाओं में सार्थक भागीदारी को अधिक स्थान देना उपयोगी होगा। यह दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय बाल-अधिकार ढाँचे के उस सिद्धांत से भी मेल खाता है जिसमें संरक्षण और सहभागिता को परस्पर संबंधित माना गया है।

इस प्रकार अध्ययन की दोनों शून्य परिकल्पनाओं का अंतिम निर्णय है: H_{01} — अस्वीकृत नहीं; H_{02} — अस्वीकृत।

संदर्भ सूची

बाल अधिकार समिति। (2009)। सामान्य टिप्पणी संख्या 12: बच्चे का सुने जाने का अधिकार (CRC/C/GC/12)। संयुक्त राष्ट्र।
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/advanceversions/crc-c-gc-12.pdf

बाल अधिकार समिति। (2011)। सामान्य टिप्पणी संख्या 13: सभी प्रकार की हिंसा से मुक्त रहने का बच्चे का अधिकार (CRC/C/GC/13)। संयुक्त राष्ट्र।
https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-13-2011-right-child-freedom-all

बाल अधिकार समिति। (2013)। सामान्य टिप्पणी संख्या 14: बच्चे के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिक विचार के रूप में लिए जाने का अधिकार (CRC/C/GC/14)। संयुक्त राष्ट्र।
https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-14-2013-right-child-have-his-or-her

भारत सरकार। (2009)। बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009। शिक्षा मंत्रालय।
https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/rte/RTE_Ac_%202009_amendments.pdf

भारत सरकार। (2012)। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012। इंडिया कोड।
https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2079/1/AA2012-32.pdf

भारत सरकार। (2015)। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015। इंडिया कोड।
https://www.indiacode.nic.in/indiacode/handle/123456789/2148

शिक्षा मंत्रालय। (2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। भारत सरकार।
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। (2021)। विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा संबंधी मार्गदर्शिका।
https://ncpcr.gov.in/public/viewPdf/165650391762bc3e6d27f93_manual-on-safety-and-security-of-children-in-schools-sep-2021.pdf

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। (2024)। धमकाने और साइबर धमकाने की रोकथाम: विद्यालयों के लिए दिशानिर्देश।
https://ncpcr.gov.in/public/viewPdf/1714382687662f675fe278a_preventing-bullying-and-cyberbullying-guidelines-for-schools-2024.pdf

यूनेस्को। (2019)। आँकड़ों के पीछे: विद्यालयी हिंसा और धमकाने का अंत।
https://www.unesco.org/en/articles/behind-numbers-ending-school-violence-and-bullying

यूनेस्को। (2020)। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2020: समावेशन और शिक्षा—सभी का अर्थ सभी।
https://www.unesco.org/gem-report/en/inclusion-education

यूनेस्को। (2024)। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2024/5: शिक्षा में नेतृत्व—अधिगम के लिए नेतृत्व।
https://www.unesco.org/gem-report/en/2024-leadership

यूनिसेफ। (2021)। विश्व के बच्चों की स्थिति 2021: मेरे मन में—बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, उसकी सुरक्षा करना और देखभाल करना।
https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2021

संयुक्त राष्ट्र। (1989)। बाल अधिकार अभिसमय। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय।
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child

विश्व स्वास्थ्य संगठन। (2019)। विद्यालय-आधारित हिंसा की रोकथाम: एक व्यावहारिक पुस्तिका।
https://www.who.int/publications/i/item/school-based-violence-prevention-a-practical-handbook